तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
२७/५/२६	पत्रा पेश। वादी द्वारा धारा २१२ के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की गई है। प्रार्थी का का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी की भूमि शामलाती खाते में दर्ज है एवं उनके बीच मौखिक बटवारा हुआ है। अब प्रतिवादी के हिस्से के पेड़ वादी की ज़मीन की तरफ आ रहे हैं जिससे वादी अपनी तरफ की ज़मीन को काश्त नहीं कर पा रहा है। अतः न्यायालय प्रतिवादी को यह पेड़ कटवाने के लिए पाबंद करे। इस वाद में न तो प्रथम दृष्टया मामला, न अपूर्णीय क्षति, न ही सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। भूमि शामलाती है एवं बटवारा मौखिक। अतः इस प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय नहीं दे सकता। अतः वाद निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 27/5/26 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी